भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5141

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

मक्का उत्पादन

5141. डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मक्का उत्पादन में भारी कमी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि मक्के के आयात में अत्यधिक देरी हो रही है, जिससे कुक्कुट पालन उद्योग को भारी समस्या हो रही है;

(ग) यदि हां, तो कुक्कुट पालन उद्योग को 20 लाख मीट्रिक टन मक्के की आवश्यकता के बावजूद, सरकार द्वारा केवल 1 लाख मीट्रिक टन मक्के के आयात की ही अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुक्कुट पालन उद्योग हेतु गेहूं और टूटे चावल के आवंटन के लिए मंत्रालय को पॉल्ट्री एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान देश में मक्का उत्पादन का परिदृश्य निम्नानुसार है:-

(मात्रा मिलियन टन में)

मौसम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
खरीफ	16.05	18.92	20.12	20.63
रबी	6.51	6.98	8.63	7.19
कुल	22.57	25.90	28.75	27.82

*तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार और अंतिम अनुमान अभी भी प्रतीक्षित हैं।

उपरोक्त तालिका के अनुसार, देश में मक्का की कोई बड़ी कमी नहीं हुई है।

(ख) एवं (ग) राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) द्वारा 'शून्य' सीमा शुल्क के तहत 5 लाख मीट्रिक टन तक, टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) स्कीम के अंतर्गत, बीज गुणवत्ता के अलावा, मक्का (कार्न) का आयात वार्षिक रूप से स्वीकार्य है। परंतु, माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कारण इस टीआरक्यू स्कीम को प्रचलनात्मक नहीं बनाया जा सका। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के परामर्श से, केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए, दो एसटीई, अर्थात नैफेड और एमएमटीसी द्वारा, टीआरक्यू स्कीम के तहत 1 लाख एमटी फीड ग्रेड मक्का (कार्न) 15 प्रतिशत सीमा शुल्क की दर पर आयात करने की अनुमति दी है। व्यापारिक प्रयोजन के लिए आयात की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा, केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए 15 प्रतिशत सीमा शुल्क की दर पर आयात के लिए 4 लाख मीट्रिक टन फीड ग्रेड मक्का (कार्न) डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही, टीआरक्यू स्कीम के तहत कुल 5 लाख मीट्रिक टन मक्का (कार्न) 2019-20 में समाप्त हो गया है।

(घ) एवं (ङ) पोल्ट्री उद्योग के लिए गेहूँ और टूटे हुए चावल के आबंटन के लिए पोल्ट्री एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम से तमिलनाडु में पोल्ट्री किसानों को चारा में कार्न के लिए विकल्प के रूप में सब्सिडीकृत गेहूँ प्रदान करने के अनुरोध का संदर्भ एक माननीय संसद सदस्य से इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है।

****